

6/11/24

पत्रावली पेश हुई। वादी आदि-370  
प्रतिकी आदि-370 प्रवर्ग में PD की  
पालना पर 18/11/24 को पेश की  
आदेश में 18/11/24 को पेश की

18/11/24

पत्रावली पेश हुई। वादी आदि-370।  
पत्रावली सुरक्षा उस्ताव के इन्तजार  
में दिनांक 28/11/24 को पेश की।

28/11/24-

पत्रावली पेश हुई। वादी आदि-370  
पत्रावली बाकी आदेश में पेश की  
9/12/24 को पेश की

9/12/24

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार  
एनोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ  
है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य  
में व्यस्त है। पत्रावली सांघिक आदेश  
दिनांक 24/12/24 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

24/12/24

पत्रावली पेश हुई। वादी आदि-370।  
उप-1) प्रैरेकर सत्कार उप-1) प्रैरेकर सरकार  
गम उबाव पेश का निवेदन किया कि  
वादग्रस्त श्रमि गामपुर की मारादी नं  
8233, 8234 व 8235 वर्तमान अनन्व  
रिकॉर्ड अनुसार समर्पित हो जाते, अबाव हो  
जाते, विवेक हो जाने के कारण प्रुपक प्रुपक  
खाते में दर्ज हैं। प्रिसमें वादीगण एवं जरीवादीगण  
के नाम न मिलान नहीं होना है। वादी एवं  
जरीवादी आदिवाला वारा सदाचर रिकॉर्ड का  
हावलौकन का वादी एवं जरीवादीगण के  
मध्य व्यावहारिक रूप से वादग्रस्त श्रमि न  
बंटवारा हो जाने तथा वादग्रस्त श्रमि प्रुपक-  
प्रुपक खाले में दर्ज हो जाने से वाद की  
निर्णित करने की सरमति उदान की।

अतः वादी वारा उप-1) वाद अनन्व  
धारा 53 अच. काबलकारी आदिने प्रम को निर्णित  
किया जाना है। निर्णय से उबावला सुनाया गया। प्रिती  
पत्रावली है। पत्रावली केवल श्रुमात होना नाहीं  
काला से नला नला से कम हो।

सहायक क्लर्क

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

**न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा**  
पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. शंभुसिंह पिता कजोड़ सिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी भीलवाड़ा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. अकिला बाई पत्नी हाजी अब्बास अली बोहरा आयु वयस्क निवासी बोहरा कॉलोनी भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. बिल्किस बाई पत्नी तुराब अली जी बोहरा आयु वयस्क निवासी बोहरा कॉलोनी भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. रतन लाल पिता सोहन लाल जाति पलोड़ आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण


**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत**  
**कराये जाने विभाजन आराजियात**

प्रकरण संख्या 127/2012 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री हरदयाल वर्मा उपस्थित – इस वाद में आज तारीख 24.12.2024 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन कर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य व्यवहारिक रूप से वादग्रस्त भूमि का बंटवारा हो जाने तथा वादग्रस्त भूमि पृथक-पृथक खातों में दर्ज हो जाने से वाद को निर्णित करने की सहमति प्रदान की।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को निर्णित किया जाता है।

  
24/12/24  
(अरुण कुमार जैन)  
सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा